फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री फतेहलाल | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 16/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.08.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131, 133 भू.रा.अ. का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में मौजा मावली पटवार हल्का मावली के आराजी नम्बर 1688 प्रार्थी के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान उक्त आराजी के दक्षिण पश्चिम कोने पर आवासीय प्रयोजनार्थ आराजी नम्बर 4454/1688 को राजस्व रेकार्ड में सही तरमीम नहीं किया, जिस कारण 1688 का रकबा कम हो गया हैं, इसलिए इसको सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1688 में से आवासीय प्रयोजनार्थ होने से प्रस्तावित आवासीय भूमि डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत् तरमीम करते समय तरमीम सही न होकर सेहवन से गलत दर्ज होना बताया हैं। चूंकि उक्त तरमीम डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत् नक्शें में तरमीम करते समय सेहवन से गलत दर्ज हो गई है, जिस कारण आवासीय भूमि का रकबा राजस्व नक्शें में बढ़ा है एवं आराजी नम्बर 1688 का रकबा घटा हैं, जिससे प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1688 के दक्षिण पश्चिम कोने पर पैमुद आवासीय प्रयोजनार्थ आराजी नम्बर 5444/1688 को राजस्व रेकार्ड में अंकित क्षेत्रफल के आधार पर प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:28:43 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली